न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 2/2020 **दायर तारीख :– 23-06-2020**

1. बंशी
2. रमेश
3. हजारी
4. रणजीत
5. मुकेश

} पुत्रान कालूराम

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

—: प्रार्थीगण

बनाम

1. झाबरमल पुत्र प्रभात जाति अहीर (यादव) निवासी बागावास अहीरान तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर राजस्थान।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :– श्री गणपत लाल पंसारी, अधिवक्ता प्रार्थीगण
श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक :– 24.02.2021

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र राजस्थान अभिवृत अधिनिय 1955 की धारा 251–क की उप धारा (2) के अधीन अनुज्ञा का आवेदन पत्र पेश किया कि वाके ग्राम बागावास अहीरान के हाल खसरा नंबर 853/0.12 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थीगण अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 851/0.38 हैक्टेयर के पश्चिमी डोल के सहारे से पश्चिम से उत्तर की ओर होते हुए 4 मीटर चौडाई में रास्ता चाहा है। प्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता प्रार्थी की अत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण की भूमि में पहूंचने के लघुतम तथा निकटतम स्थिति है। प्रार्थीगण के द्वारा कालित रास्ता को जो कि हाल नक्शा ट्रेस में सीमाकिंत दर्शित किया गया है, उक्त भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता के रूप में अभिलिखित किया जाना तथा अप्रार्थीगण की उक्त भूमि के संबंध में खातेदारी निवादित किया जाना न्यायसंगत है, इसके संबंध में प्रार्थी उचित एवं न्यायसंगत प्रतिकर संदाय करने हेतु तैयार है।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

2. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बागावास अहीरान, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास अहीरान खाता संख्या 21 संवत् 2073–2076, नकल जमाबन्दी ग्राम बागावास अहीरान खाता संख्या 90 संवत् 2073–2076 आदि पेश किये।
3. पत्रावली बाद जांच दर्ज पंजीका कर अप्रार्थी की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित। पैरोकार सरकार उपस्थित।
4. अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश जवाब प्रार्थना पत्र में कथन रहे कि अप्रार्थी की खातेदारी भूमि का खसरा नंबर 851/0.38 में से प्रार्थी ने 4 मीटर चौडाई का पश्चिमी डोल के सहारे से पश्चिम से उत्तर की ओर होते हुए खसरा नंबर 853 में जाने के लिए नया रास्ता चाहता है जो गलत है, अस्वीकार हैं। अप्रार्थीगण को प्राप्त दस्तावेजात की नकल नकशा व जमाबंदी के अनुसार नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को लाल रंग से प्रदर्शित भी नहीं किया हुआ है, जिससे वास्तविक जगह की पहचान नहीं होती है, जिससे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सरसरी तौर पर खारिज किए जाने योग्य है। यह है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 (क) के प्रावधानों के पूर्ति के अभाव में प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने योग्य है, क्योंकि प्रार्थीगण ने यह नहीं बताया है कि प्रार्थी की जोत तक पहूंच के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है एवं चाहा गया रास्ता अत्यावश्यक प्रकृति का रास्ता है। जब तक अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है इस प्रावधाना के तहत नया मार्ग स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। यह है कि खसरा नंबर 848, 849, 908 में सी.सी रोड बना हुआ है एवं उसके आगे खसरा नंबर 906/2209 में से कच्चा रास्ता बना हुआ है, जिसमें से होकर भूमि खसरा नंबर 853 में आवागमन चालू है, जिससे होकर प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि खसरा नंबर 853 में आ जा रहा है। खसरा नंबर 908 एवं 906/2209 अप्रार्थी के खसरा नंबर 851 के बतरफ पश्चिम में लगते हुए नंबर है, जिसमें पहले से रास्ता चालू है। अप्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगती हुई पूर्व में बतरफ प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 2307/850 एवं 852 स्थित है। एवं 850 इनके भाईयों के पास है प्रार्थी अपने स्वयं की भूमि में से होकर भी आ जा सकता है। प्रार्थीगण ने 853 की जमाबंदी के सभी खातेदारों की तरफ से भी प्रार्थना पत्र पेश नहीं है, जिससे प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज किया जाने की कृपा करें।
5. तहसीलदार विराटनगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई।
6. तहसीलदार विराटनगर की मौका रिपोर्ट में कथन रहे कि खसरा नंबर 851 राजस्व रिकॉर्ड में झाबरमल पिता प्रभात कौम अहीर दर्ज रिकॉर्ड है। तथा खसरा नंबर 853 बंशीधर, रमेश चन्द वगैरह पिता कालूराम कौम अहीर दर्ज रिकॉर्ड हैं। वादी ने अपने गंतव्य स्थल खसरा नंबर 853 में जाने के लिए अपने वाद में खसरा नंबर 851 की पश्चिमी सीमा एवं उत्तरी सीमा पर 4 मीटर चौडा रास्ता चाहा गया है। राजस्व रिकॉर्ड एंव मौके अनुसार मौके पर खसरा नंबर 848, 849, 912, 914 की डोल पर सी.सी रोड बना है, जो चालू है। तत्पश्चात खसरा नंबर 908, 906/2209, 865/2208 पर मोके अनुसार कच्चा रास्ता बना

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

हुआ है। इसलिए वादी का गंतव्य स्थल खसरा नंबर 853 में जाने हेतू वादी चाहे तो खसरा नंबर 848, 849, 912, 914, 908, 906/2209, 865/2208 व 854 में से रास्ता वास्ते वाद दायर कर सकता है जो मौके पर रास्ता है, जो न्याय संगत एंव सुलभ होगा। तथा इसके अलावा वादी की खातेदारी खसरा नंबर 2207/850 से होकर खसरा नंबर 850, 852 में से मांग कर भी खसरा नंबर 853 में पहूंचा जा सकता है।

7. बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई।

8. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस वकुलाय पर मनन किया गया। वाके ग्राम बागावास अहीरान के हाल खसरा नंबर 853/0.12 हैक्टेयर जमाबन्दी संवत् 2073–2076 में प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकार्ड है, तथा प्रार्थी अपनी आराजी में आने–जाने हेतु अप्रार्थी के खसरा नम्बर 851/0.38 हैक्टेयर पश्चिमी डोल के सहारे से पश्चिम से उत्तर की ओर 4 मीटर की चौडाई का रास्ता चाहा है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी का अपनी खातेदारी भूमि में आने–जाने के लिए उक्त रास्ता के अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, परन्तु तहसीलदार विराटनगर की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण को अपने खातेदारी खसरा नंबर 853/0.12 हैक्टेयर की पहूंच हेतू अन्य रास्ता 2307/850, 580, 852 में से भी होते हुए है, जो की प्रार्थी के लिए लघूतम रास्ता है। जिसमें खसरा नंबर 2307/850, 852 प्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड हैं। प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण के लिए अच्छा वैकल्पिक एवं सुलभ रास्ता नहीं होकर खसरा नंबर 2307/850, 580, 852 में से निकलने वाला रास्ता प्रार्थीगण के लिए उपयुक्त रहेगा। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित पाता हूँ।

आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 24.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)